उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-09/2018-19

जलधर यादव वगैरह

बनाम्

मोहन हजरा वगैरह

—: आदेश :—

दिनांक 05/08/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता जलधर यादव वो भगवान यादव वो बिरंची यादव, पे0–स्व0 सिताबी यादव सभी साकिनान विसनपुर, थाना–हनवारा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–33/2017–18 आदेश दिनांक–11.06.2018 के विरूद्ध अपील आवेदन दाखिल किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0–33/2017–18 के आदेश दिनांक–11.06.2018 द्वारा मौजा–विशनपुर थाना नं0–617 जमाबंदी नं0–25 आंशिक रकवा 08–00–00 धुर जमीन पर उत्तरवादी मोहन हजरा वगैरह को दखल दिहानी दिलानी के लिए अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश दिया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–विशनपुर जमाबंदी सं0–25 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बंधु हजरा वगैरह के नाम से दर्ज है। लेकिन उक्त जमाबंदी की जमीन का लगान बकाया होने एवं बकाया लगान भुगतान नहीं करने के कारण जमाबंदी रैयत को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–3114/1934–35 के द्वारा उच्छेद किया गया और बकाया लगान का भुगतान करने के कारण उक्त जमाबंदी का रकवा 08–00–00 धुर जमीन मुंशी गोप के साथ बंदोवस्ती की गयी और अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय द्वारा मुंशी गोप को दखल दिहानी भी दिलाया गया एवं दखल दिहानी दिलाने के बाद बंदोवस्तदार मुंशी गोप के नाम से अलग जमाबंदी सं0–25/क कायम कर पंजी–2 में भी नाम दर्ज किया गया। बंदोवस्तदार मुंशी गोप अपने जीवनकाल तक उक्त बंदोवस्त जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार रहे एवं उक्त जमीन का मालगुजारी रसीद कटाते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशज अपीलकर्त्तागण उक्त जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से

दखलकार हैं तथा जमीन का खजाना रसीद कटाते आ रहें हैं। वर्तमान चल रहे सर्वे में भी अपीलकर्त्ता भगवान यादव, विरंची यादव एवं जलधर यादव, पे0—सीताबी यादव का नाम दर्ज किया गया है। लेकिन बाद में विद्वान बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका ने अपने न्यायालय के विविध वाद सं0—1106/2010 में आदेश दिया गया कि विवादित भूमि औपबंधिक रूप से वर्ष 1943 ई0 तक ही मिला था। समय सीमा समाप्त हो गया है। उक्त आदेश के साथ बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका ने तसदीक सर्वे से अपीलकर्त्तागण के नाम को विलोपित करने के लिए आदेश पारित किया गया। विद्वान बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्तागण की ओर से माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका में अपील वाद सं0—226/16—17 दायर किया गया है, जो अभी विचाराधीन है। अपीलकर्त्तागण बंदोवस्तदार रैयत मुंशी गोप के वंशज है एवं उक्त जमीन पर अपीलकर्त्तागण का हक एवं अधिकार है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह मामला स्वत्व का भी बनता है और संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत इस मामले में निर्णय देना उचित नहीं है। इस प्रकार निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्तागण ने अपील वादगत जमीन आर0ई0आर0 केश नं0—3114/1934—35 से बंदोवस्ती से प्राप्त किया है। लेकिन उक्त बंदोवस्ती मात्र 8 वर्ष के लिए था और कानून के अनुसार उक्त जमीन बंदोवस्तदार से मुक्त था। इसलिए कानूनी रूप से गत जमाबंदी रैयत के दखल में आ जाना चाहिए था। वर्तमान सर्वे के समय बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के विविध वाद सं0—1106/2010 के आदेश दिनांक—12.06.2016 के द्वारा अपीलकर्त्तागण के दावा को स्वीकार नहीं किया गया एवं गत जमाबंदी रैयत मोहन हजरा के नाम दर्ज करने के लिए आदेश पारित किया गया। बंदोवस्त पदाधिकारी, दुमका के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपने न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0—33/17—18 में दिनांक—11.06.2018 सकारण स्पष्ट आदेश पारित किया है। उनका आगे कथन है कि अंचल

अधिकारी, महागामा के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में भी प्रतिवेदित किया है कि पंजी–2 में बंदोवस्तदार का नाम तो दर्ज है, लेकिन नाम दर्ज करने का कारण उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बंदोवस्ती स्थायी नहीं था। हालांकि पंजी–2 में नाम दर्ज होने से बंदोवस्तदार का हक कायम नहीं हो जाता है। इसलिए अपीलकर्त्तागण का बंदोवस्तदार मुंशी गोप के वंशज के आधार पर दावा निराधार है एवं निम्न न्यायालय के द्वारा पारित किया गया आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–153/रा0 दिनांक–14.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–विसनपुर थाना नं0–617 जमाबंदी नं0–25 कुल रकवा 24–10–16 धुर के अंदर अंश रकवा 08–00–00 धुर भूमि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–33/2017–18 मोहन हजरा बनाम् जलधर हजरा के पारित आदेश दिनांक–11.06.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। मौजा–विसनपुर थाना नं0–617 जमाबंदी नं0–25 कुल रकवा 24–10–16 धुर गेंजर सर्वे में वंधू हजरा वल्द मगरू हजरा वो कातिक हजरा वो चौधरी हजरा पे0–ननू हजरा वो वाले हजरा वल्द मगरू हजरा कौम–दुसाध साकिन–देह अंकित है। पंजी–2 में जमाबंदी नं0–25/क रकवा 08–00–00 धुर मुंशी गोप के नाम से जमाबंदी कायम है। जलधर यादव के द्वारा वादगत भूमि के पक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–3114/1934–35 के माध्यम से भूमि मुंशी गोप को प्राप्त होने का आधार बताया जा रहा है। अपीलकर्त्ता (जलधर यादव) मुंशी गोप के पोष्यपुत्र सितावी गोप के पुत्र है। उत्तरवादी (मोहन हजरा) खतियानी रैयत वाले हजरा का पोता है। न्यायालय बंदोवस्त पदाधिकारी, संथाल परगना बंदोवस्त, दुमका विविध वाद सं0–1106/2010 में बंदोवस्त पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में आर0ई0आर0 वाद सं0–3114/1934–35 के द्वारा 08 बीघा जमीन मुंशी गोप के नाम से औपबंधिक रूप से वर्ष 1943 तक बंदोवस्त किया गया था तथा विपक्षियों का नाम वर्तमान हाल सर्वे खाता 27/25 से विलोपित करने का आदेश पारित

किया गया है। विवादित भूमि वर्तमान में उक्त भूमि विगत लगभग 10–15 वर्षों से परती पड़ा हुआ है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन, दाखिल कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–विसनपुर थाना नं0–817 जमाबंदी सं0–25 कुल रकबा 24–10–18 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बंधु हजरा वल्द मंगल हजरा वो कार्तिक हजरा वो चौधरी हजरा वो वाले हजरा वल्द मंगल हजरा कौम दुसाध के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता जलधर यादव के द्वारा उक्त जमाबंदी सं0–25 के अंदर रकबा 08–00–00 धुर जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केस नं0–3114/1934–35 के माध्यम से मुंशी नोप को प्राप्त होने के आधार पर दावा किया गया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा अपना दावा के समर्थन में कागजात दाखिल किया है। अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल कागजातों से स्पष्ट होता है कि मौजा–विसनपुर के जमाबंदी सं0–25 का लगान बकाया होने के कारण मूल रैयत को उच्छेद किया गया है एवं मुंशी नोप के द्वारा बकाया लगान की राशि का भुगतान किये जाने के कारण मुंशी नोप के साथ उक्त जमाबंदी का अंश रकबा 08–00–00 धुर जमीन की बंदोबस्ती आदेश दिनांक–13.05.1935 के द्वारा की गयी है। चूँकि उक्त बंदोबस्ती वर्ष 1935 ई0 की गयी है एवं अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्ष 1941 से 2012–13 तक का लगान का छाया प्रति दाखिल किया गया है। इस आधार पर अपीलकर्त्ता का प्रतिकूल प्रभाव से दखल के आधार पर हक बनता है। इस प्रकार यह संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन का मामला प्रतीत नहीं होता है। निम्न न्यायालय ने बंदोबस्ती पदाधिकारी, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के विविध वाद सं0–1108/2010 के आदेश के आलोक में उत्तरवादी मोहन हजरा को दखल दिहानी दिलाने का आदेश अंचल अधिकारी, महागामा को दिया गया है। जबकि बंदोबस्त पदाधिकारी, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता की ओर से माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–228/16–17 अपीलवाद दायर किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–33/2017–18 के आदेश दिनांक–11.06.2018 के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 11:29:22 +05:30
Location: 192.168.29.32